

अपील नं. 113/2022 बलवारी लाल मारि vs मनीषकुमार मारि

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

6.9.2022

वकील बलकामन उमरिया/ मनीषां की तरफ से श्री लालमारां वरि 800. ने अपील नहीं मानी के सम्बन्ध में प्रा. दर देर किया। उक्त प्रा. दर के पक्ष श्री लालमारां 800 ने अपीलमांल की बाकु दे व का ल मारां एवं फार्मिंगे 3 के पक्ष परावेर देर ~~कि~~ <sup>कि</sup> जो शामिल है। उक्त प्रा. दर में वकील मनीषां ने विवेक किया कि कुल वाद दर उत्पादक कर लिया है जो कमान कि कुल वाद दर का निरन्ताप होने जो से उक्त अपील जो शामिल दर पर फरमावे जाने का निवेदन किया। जो कुल वाद निर्धारित हो चुका है जो धारा 212 भाग के बिना उक्त पर अपील नर: ही लिए प्रभावी हो चुकी है। लिहाजा अपील मनीषांल वकील लाल पर वाशियन की जाती है। परावली गमल के करि होकर अग्रिले वागल में बना हो।

6/9/22  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
हनुमानगढ़

बलवारी  
विजयपाल

g. by me  
over

मा

g. by me  
only

व्यक्ति

आले

म

202

नी-11

रे

प

1

व

मा

202

202

202

202

202

202

202